नीति आयोग की भूमिका और सहकारी संघवाद का विकास: राजस्थान के संदर्भ में राज्य स्वायत्तता के उभरते आयामों का अध्ययन"

[1]हनुमान प्रसाद, [2]डॉ. गौरव कुमार शर्मा
[1]शोधार्थी, [2]शोध पर्यवेक्षक
[12]कला एवं मानविकी संकाय, कैरियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, कोटा

सार—**भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं और आवश्यकताओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों, वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा विकास की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण केंद्र–राज्य संबंधों की प्रकृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य एक अधिक सहभागी, लचीली और समन्वयात्मक नीति-निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देना था।**

नीति आयोग को एक 'थिंक टैंक' के रूप में स्थापित किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाने, नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा "बॉटम-अप" दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है। यह परिवर्तन पारंपरिक केंद्रीकृत योजना प्रणाली से हटकर सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

यह शोध-पत्र नीति आयोग की भूमिका, सहकारी संघवाद की अवधारणा तथा राजस्थान के संदर्भ में राज्य स्वायत्तता के उभरते आयामों का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार नीति आयोग ने राज्यों को नीति निर्माण में अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान किया है और किस हद तक यह व्यवस्था राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में सफल रही है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नीति आयोग ने राज्यों के साथ संवाद और सहभागिता को बढ़ाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्यों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देने और योजनाएँ बनाने का अवसर मिला है, जिससे नीति-निर्माण अधिक व्यावहारिक और समावेशी बना है। राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ जल संकट, ग्रामीण विकास, पर्यटन और औद्योगिक असंतुलन जैसी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं, के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है।

हालाँकि, इसके बावजूद राज्यों की पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। संसाधनों के आवंटन और वित्तीय नियंत्रण के मामलों में केंद्र की भूमिका अब भी प्रमुख बनी हुई है, जिससे राज्यों की निर्भरता पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। अतः आवश्यकता है कि सहकारी संघवाद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य शब्द—**सहकारी संघवाद, नीति आयोग, राज्य स्वायत्तता, केंद्र–राज्य संबंध, वित्तीय विकेंद्रीकरण**

I. प्रस्तावना

भारतीय संघवाद को "सहकारी संघवाद" की अवधारणा पर आधारित माना जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर देश के समग्र विकास के लिए कार्य करते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, ताकि शासन व्यवस्था में संतुलन बना रहे और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाई जा सकें। सहकारी संघवाद का मूल उद्देश्य टकराव के बजाय सहयोग, समन्वय और साझेदारी के माध्यम से विकास को गति देना है।

स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक योजना आयोग देश में विकास योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के आवंटन का प्रमुख संस्थान रहा। हालांकि, इसकी कार्यप्रणाली अपेक्षाकृत केंद्रीकृत थी, जिसके कारण राज्यों की भूमिका सीमित हो जाती थी और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता था। इस व्यवस्था में "टॉप-डाउन" दृष्टिकोण अधिक प्रभावी था, जिसमें निर्णय मुख्यतः केंद्र स्तर पर लिए जाते थे।

वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना के साथ इस पारंपरिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। नीति आयोग ने "बॉटम-अप" दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्यों को नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया। यह संस्था एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देती है तथा साझा निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करती है। इससे सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल हुई है।

विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य, जिनकी आर्थिक संरचना विविध और विशिष्ट है—जैसे पर्यटन, खनन, कृषि और MSME क्षेत्र—इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों की अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, जिन्हें समझकर ही प्रभावी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। नीति आयोग के माध्यम से राज्य को अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने और विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का अवसर मिला है।

हालाँकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस नई व्यवस्था के बावजूद केंद्र–राज्य संबंधों में पूर्ण संतुलन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, विशेषकर वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में। अतः यह अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि नीति आयोग की भूमिका और सहकारी संघवाद के विकास के संदर्भ में राज्य स्वायत्तता के उभरते आयामों का विश्लेषण किया जाए।

II. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में बदलते संघीय ढांचे के संदर्भ में नीति आयोग की भूमिका तथा सहकारी संघवाद के विकास का समग्र विश्लेषण करना है। विशेष रूप से यह अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में राज्य स्वायत्तता के उभरते आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक प्रभावों का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है।

सबसे पहले, इस अध्ययन का उद्देश्य नीति आयोग की भूमिका का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया गया है कि नीति आयोग किस प्रकार एक "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है, राज्यों को नीति निर्माण में किस हद तक भागीदारी प्रदान करता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में उसकी क्या भूमिका है। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग की कार्यप्रणाली कितनी अधिक लचीली और सहभागी है।
दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सहकारी संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझना है। इसमें यह विश्लेषण किया जाएगा कि सहकारी संघवाद किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देता है, तथा यह व्यवस्था देश के समग्र विकास में किस प्रकार योगदान करती है।

तीसरा उद्देश्य राजस्थान के संदर्भ में राज्य स्वायत्तता के उभरते आयामों का अध्ययन करना है। राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाएगा कि नीति आयोग के गठन के बाद राज्य को अपनी विकास नीतियों को निर्धारित करने में कितनी स्वतंत्रता मिली है और किन क्षेत्रों में अब भी सीमाएँ बनी हुई हैं।
अंततः, इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र–राज्य संबंधों में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत यह विश्लेषण किया जाएगा कि नीति आयोग और सहकारी संघवाद के प्रभाव से इन संबंधों में किस प्रकार बदलाव आया है, तथा क्या ये परिवर्तन संतुलित और दीर्घकालिक विकास के लिए अनुकूल हैं।

III. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें विषय से संबंधित विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर उसका विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के लिए पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों, नीति दस्तावेजों, पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रामाणिक वेबसाइटों का उपयोग किया गया है। विशेष रूप से नीति आयोग की आधिकारिक रिपोर्टें, भारत सरकार के प्रकाशन, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्टें तथा विभिन्न अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित शोध आलेख इस अध्ययन के प्रमुख स्रोत रहे हैं।

इस शोध में विश्लेषणात्मक (Analytical) एवं वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धति का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत नीति आयोग की संरचना, कार्यप्रणाली, सहकारी संघवाद की अवधारणा तथा राजस्थान की आर्थिक संरचना का विस्तार से वर्णन किया गया है। वहीं, विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से केंद्र–राज्य संबंधों में आए परिवर्तनों, राज्य स्वायत्तता पर पड़े प्रभावों तथा विभिन्न नीतिगत पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में गुणात्मक (Qualitative) दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें तथ्यों और आंकड़ों की व्याख्या करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि नीति आयोग के गठन के बाद सहकारी संघवाद को किस प्रकार बढ़ावा मिला है और राजस्थान जैसे राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

हालाँकि, यह अध्ययन केवल द्वितीयक स्रोतों तक सीमित है, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण या प्राथमिक आंकड़ों (Primary Data) का उपयोग नहीं किया गया है। इस कारण कुछ निष्कर्ष सामान्यीकृत हो सकते हैं। फिर भी, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह अध्ययन विषय की व्यापक और संतुलित समझ प्रदान करने का प्रयास करता है।

IV. नीति आयोग: गठन और संरचना

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका पूरा नाम है। यह संस्था एक “थिंक टैंक” के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के समग्र, समावेशी और सतत विकास के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना है। नीति आयोग का गठन बदलती आर्थिक परिस्थितियों, वैश्वीकरण तथा राज्यों की बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, ताकि एक अधिक लचीली और सहभागी नीति-निर्माण प्रक्रिया विकसित की जा सके।

नीति आयोग की संरचना इसे अन्य संस्थाओं से अलग बनाती है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इसके कार्यों का नेतृत्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसकी संचालन परिषद का हिस्सा होते हैं। यह व्यवस्था राज्यों को सीधे नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को उचित महत्व मिल सके।

इसके अलावा, नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। यह विविध संरचना इसे बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाती है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जा सकें।

नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका “बॉटम-अप” दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक “टॉप-डाउन” मॉडल से भिन्न है। पहले योजना आयोग में निर्णय मुख्यतः केंद्र स्तर पर लिए जाते थे, जबकि नीति आयोग राज्यों, स्थानीय निकायों और अन्य

हितधारकों से सुझाव लेकर नीतियाँ तैयार करता है। इससे नीति निर्माण अधिक सहभागी, व्यावहारिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनता है।

इसके साथ ही, नीति आयोग सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों को बढ़ावा देता है। यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे वे अपने विकास प्रदर्शन में सुधार कर सकें। इस प्रकार, नीति आयोग न केवल एक सलाहकार संस्था है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच भी है, जो भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

V. सहकारी संघवाद की अवधारणा

सहकारी संघवाद भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका मूल उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस व्यवस्था में शासन का संचालन टकराव या प्रतिस्पर्धा के बजाय आपसी समझ, संवाद और सहयोग के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान ने यद्यपि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया है, फिर भी राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य आवश्यक माना गया है।

सहकारी संघवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। केंद्र राष्ट्रीय नीतियों और व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जबकि राज्य अपने-अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार इन नीतियों को लागू करते हैं। इस प्रकार, नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर सहयोग की भावना को प्राथमिकता दी जाती है।

नीति आयोग की स्थापना ने इस अवधारणा को और अधिक मजबूती प्रदान की है। यह संस्था राज्यों को नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है, जिससे उनकी समस्याओं, प्राथमिकताओं और सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिल सके। नीति आयोग की संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जो इसे एक संवादात्मक और सहभागी मंच बनाता है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग सहकारी संघवाद के साथ-साथ "प्रतिस्पर्धी संघवाद" को भी प्रोत्साहित करता है, जिसमें राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाता है। विभिन्न सूचकांकों (जैसे SDG Index, Health Index आदि) के माध्यम से राज्यों की रैंकिंग की जाती है, जिससे वे एक-दूसरे से सीखते हुए अपने विकास स्तर को सुधारने का प्रयास करते हैं।
हालाँकि, सहकारी संघवाद की अवधारणा व्यवहार में कई चुनौतियों का सामना भी करती है, जैसे—वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण, केंद्र का अधिक प्रभाव, तथा राज्यों की सीमित स्वायत्तता। फिर भी, नीति आयोग के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो और विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी एवं संतुलित बन सके।

VI. नीति आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ

नीति आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण नीतिगत संस्थान है, जो देश के समग्र और संतुलित विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाएँ केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा विकास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सबसे पहले, नीति आयोग दीर्घकालिक (Long-term) नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण तैयार करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों—जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे—के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

दूसरा, नीति आयोग राज्यों को नीतिगत सुझाव देने का कार्य करता है। यह राज्यों की आवश्यकताओं और समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें उपयुक्त समाधान और सुधार के सुझाव देता है। इस प्रक्रिया में राज्यों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाता है, जिससे नीति निर्माण अधिक सहभागी और व्यावहारिक बनता है।

तीसरा, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से राज्यों की प्रगति का आकलन करता है और उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

चौथा, नीति आयोग राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जैसे—SDG Index, Health Index, School Education Quality Index आदि। इन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण संभव होता है, जिससे उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान की जा सकती है।

अंततः, नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे विकास की दिशा में अधिक सक्रिय और उत्तरदायी बनते हैं। इस प्रकार, नीति आयोग एक समन्वयक, मार्गदर्शक और प्रेरक संस्था के रूप में भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

VII. राजस्थान के संदर्भ में नीति आयोग की भूमिका

राजस्थान भारत का एक विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य है, जहाँ एक ओर विकास की अपार संभावनाएँ हैं, वहीं दूसरी ओर जल संकट, मरुस्थलीय क्षेत्र, सीमित संसाधन और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ऐसी परिस्थितियों में नीति आयोग की भूमिका राज्य के समग्र विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण बन जाती है। यह न केवल राज्य सरकार को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता करता है।

7.1 विकास योजनाओं में सहयोग: नीति आयोग राजस्थान सरकार को विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है। विशेष रूप से जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में आयोग द्वारा नीतिगत सुझाव दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान में जल संकट एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान के लिए नीति आयोग द्वारा टिकाऊ जल प्रबंधन मॉडल और नवाचारों को बढ़ावा दिया गया है। इसी प्रकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हेतु राज्य को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जिससे सेवा गुणवत्ता में सुधार संभव हो पाया है।

7.2 सतत विकास लक्ष्य (SDGs): राजस्थान ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने और उन्हें लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए SDG इंडेक्स के माध्यम से राज्य के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। इससे राज्य को अपनी कमजोरियों की पहचान करने और सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता मिलती है। नीति आयोग राज्यों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीतियाँ और दिशा-निर्देश भी प्रदान करता है।

7.3 प्रतिस्पर्धी संघवाद: नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, जिसके अंतर्गत राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से राज्यों की रैंकिंग की जाती है, जिससे राजस्थान को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की प्रेरणा मिली है। यह प्रतिस्पर्धा राज्य को नवाचार अपनाने, नीतियों में सुधार करने और बेहतर प्रशासनिक दक्षता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार, नीति आयोग राजस्थान के विकास में एक मार्गदर्शक और प्रेरक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

VIII. राज्य स्वायत्तता के उभरते आयाम

नीति आयोग के गठन के बाद भारतीय संघीय ढांचे में राज्य स्वायत्तता के स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विशेष रूप से सहकारी संघवाद के तहत राज्यों को नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर मिला है, जिससे उनकी भूमिका पहले की तुलना में अधिक सशक्त हुई है।

8.1 नीतिगत भागीदारी में वृद्धि: नीति आयोग ने राज्यों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिनिधि सीधे अपनी समस्याओं, सुझावों और प्राथमिकताओं को केंद्र के सामने रख सकते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सहभागी और व्यावहारिक बनी है। राजस्थान जैसे राज्य, जिनकी अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं, इस मंच के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं।

8.2 वित्तीय सीमाएँ: हालाँकि नीति आयोग नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इसके पास प्रत्यक्ष वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण नहीं है। वित्तीय आवंटन और संसाधनों का प्रमुख नियंत्रण अभी भी केंद्र सरकार के पास है। इसके कारण राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो पाई है। राजस्थान जैसे राज्यों को अपने विकास कार्यों के लिए अब भी केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जो स्वायत्तता के पूर्ण विकास में बाधा बन सकता है।

8.3 क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का महत्व: नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने का अवसर मिला है। राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ जल संकट, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ और पर्यटन विकास जैसी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं, अब इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे राज्य अपनी विकास रणनीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में सक्षम हो रहा है। इस प्रकार, नीति आयोग ने राज्य स्वायत्तता को कुछ हद तक सशक्त किया है, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएँ अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

IX. चुनौतियाँ

नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, राज्यों—विशेष रूप से राजस्थान जैसे विकासशील राज्यों—के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ये चुनौतियाँ मुख्यतः वित्तीय, प्रशासनिक और क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित हैं, जो राज्य स्वायत्तता को पूर्ण रूप से सशक्त होने से रोकती हैं।

1. **राज्यों की सीमित वित्तीय स्वायत्तता:** भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता अभी भी सीमित है। यद्यपि राज्यों को कुछ कराधान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन प्रमुख राजस्व स्रोतों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक है। GST जैसी व्यवस्थाओं के बाद राज्यों की स्वतंत्र कर निर्धारण की क्षमता और कम हो गई है। इससे राज्यों को अपने विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में कठिनाई होती है।
2. **केंद्र पर निर्भरता:** वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान, योजनाओं और हस्तांतरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता कई बार राज्यों की नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ संसाधनों का वितरण असमान है, इस निर्भरता के प्रभाव को अधिक महसूस करते हैं।

3. **नीति आयोग के पास वित्तीय शक्ति का अभाव:** नीति आयोग एक सलाहकार संस्था है, जिसके पास प्रत्यक्ष वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने की शक्ति नहीं है। इसके कारण, यह केवल सुझाव दे सकता है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान नहीं कर सकता। इससे कई बार नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित होता है।
4. **राज्यों के बीच असमान विकास:** भारत में विभिन्न राज्यों के विकास स्तर में काफी अंतर है। कुछ राज्य औद्योगिक और आर्थिक रूप से अधिक विकसित हैं, जबकि अन्य राज्य पिछड़े हुए हैं। यह असमानता सहकारी संघवाद के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बनती है। राजस्थान जैसे राज्यों को अपने भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे समग्र संतुलित विकास प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, इन चुनौतियों का समाधान किए बिना सहकारी संघवाद और राज्य स्वायत्तता को पूर्ण रूप से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता।

X. सुधार हेतु सुझाव

भारत में सहकारी संघवाद को अधिक प्रभावी बनाने तथा राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है। विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों के संदर्भ में ये सुझाव अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। सबसे पहले, राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में राज्यों की आय के प्रमुख स्रोत सीमित हैं, जिसके कारण वे अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। यदि राज्यों को कर निर्धारण में कुछ लचीलापन और अधिक संसाधन जुटाने के अधिकार दिए जाएँ, तो वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर योजनाएँ बना सकेंगे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएँगे।

दूसरा, नीति आयोग को अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह केवल एक सलाहकार संस्था है, जिसके पास प्रत्यक्ष वित्तीय शक्तियाँ नहीं हैं। यदि इसे सीमित स्तर पर वित्तीय संसाधनों के आवंटन या विशेष परियोजनाओं के समर्थन की शक्ति दी जाए, तो इसकी सिफारिशों का प्रभाव अधिक बढ़ सकता है और योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा।

तीसरा, राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी राज्यों के लिए एक समान नीति हमेशा प्रभावी नहीं होती। राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ जल संकट, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान आवश्यक हैं।

अंततः, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। नियमित संवाद, पारदर्शिता और साझेदारी के माध्यम से नीति निर्माण और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे न केवल सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश के समग्र और संतुलित विकास को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

XI. निष्कर्ष

नीति आयोग ने भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा मिला है, जिससे नीति निर्माण प्रक्रिया अधिक सहभागी और व्यावहारिक बनी है। राज्यों को अपनी समस्याओं, प्राथमिकताओं और सुझावों को सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, जो पारंपरिक केंद्रीकृत व्यवस्था की तुलना में एक सकारात्मक परिवर्तन है।

राजस्थान के संदर्भ में यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह राज्य भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विविध चुनौतियों का सामना करता है। नीति आयोग के माध्यम से राज्य को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं—जैसे जल प्रबंधन, पर्यटन विकास, कृषि सुधार और सामाजिक क्षेत्र में सुधार—के अनुसार नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इससे राज्य की नीतिगत भागीदारी और प्रशासनिक क्षमता में कुछ हद तक वृद्धि हुई है।

हालाँकि, इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि राज्य स्वायत्तता अभी भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाई है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में। संसाधनों के आवंटन और राजस्व के प्रमुख स्रोतों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक होने के कारण राज्यों की निर्भरता बनी हुई है। नीति आयोग के पास प्रत्यक्ष वित्तीय शक्तियों का अभाव भी इस दिशा में एक सीमा के रूप में सामने आता है।

अतः यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य मिलकर ऐसी संतुलित व्यवस्था विकसित करें, जिसमें राज्यों को पर्याप्त वित्तीय और नीतिगत स्वतंत्रता मिल सके। साथ ही, सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, संवाद और समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इन पहलुओं पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए, तो न केवल संघीय ढांचा मजबूत होगा, बल्कि देश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

References

[1] भारत सरकार। (2024)। *नीति आयोग: वार्षिक रिपोर्ट 2023–24*। नई दिल्ली

[2] भारत सरकार। (2015)। *नीति आयोग का गठन एवं कार्यप्रणाली*। नई दिल्ली

[3] भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय। (2024)। *भारत का संविधान* (नवीनतम संस्करण)। नई दिल्ली

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक। (2023)। *राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन (2023–24)*। मुंबई

[5] नीति आयोग। (2023)। *सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड रिपोर्ट 2023–24*। नई दिल्ली

[6] नीति आयोग। (2021)। *स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट*। नई दिल्ली

[7] निर्विकार सिंह। (2019)। *भारत में संघवाद और वित्तीय स्वायत्तता*। नई दिल्ली

[8] एम. गोविंदा राव। (2018)। *भारतीय वित्तीय संघवाद: मुद्दे और चुनौतियाँ*। नई दिल्ली

[9] योजना आयोग। (2012)। *बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

[10] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। (2024)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24*। नई दिल्ली